

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०-८डी०(आयोग)-३३-१७/२०१७- 134

प्रेषक,

संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 28/08/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना व्यय वहन हेतु वेतन में ₹179.17 लाख एवं गैर वेतन ₹74.76 लाख अर्थात् कुल ₹ 253.93 लाख (दो करोड़ तिरपन लाख तिरान्चे हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान का आवंटन।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना व्यय वहन हेतु वेतन में ₹275.65 लाख एवं गैर वेतन ₹115.02 लाख अर्थात् कुल ₹390.67 लाख (तीन करोड़ नब्बे लाख सड़सठ हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान की निकासी की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 79 दिनांक 16.07.2026 के द्वारा प्रदान की गई है। तदनुसार कुल स्वीकृत राशि के आलोक में प्रथम आठ माह के लिए वेतन में ₹179.17 लाख एवं गैर वेतन ₹74.76 लाख अर्थात् कुल ₹ 253.93 लाख (दो करोड़ तिरपन लाख तिरान्चे हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान मद में आवंटित की जाती है।

2-आवंटित राशि बजट मुख्य शीर्ष- मुख्यशीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-निर्देशन एवं प्रशासन-0003-राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्राथमिक इकाई 0003.3104-सहायक अनुदान-वेतन एवं 0003.3106-सहायक अनुदान-गैर वेतन मांग सं०-44 विपत्र कोड- 44-2225010010003 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-उप सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, पटना होंगे। वे राशि राज्य अनुसूचित जाति आयोग, पटना को पी०एल० खाता संख्या-PTSPLA039 में हस्तांतरित करेंगे। राज्य अनुसूचित जाति आयोग, पटना द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कंडिका-1 में उल्लेखित मद पर ही उक्त राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

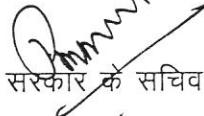
4- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17-4-98, पत्रांक-380/वि० दिनांक-20.04.2026 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

5-आयोग के व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि का अलग से लेखा संधारण किया जायेगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा से करेंगे।

6- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7-राशि के समुचित एवं नियमनुसार उपयोग के लिए सचिव राज्य अनुसूचित जाति आयोग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा मासिक व्यय विवरणी एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को विधिवत निर्धारित समय पर उपलब्ध करायेगें।

विश्वासभाजन


सरकार के सचिव 28.08.16

ज्ञापांक-8डी0(आयोग)-33-17/2017 134

पटना, दिनांक- 28/08/2016

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट) शाखा, कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ उप सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव कोषांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0 बजट शाखा/ प्रशाखा पदा0 6 जी0/ लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) सांख्यिकी शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव 28.08.16

V-